फर्द अहकाम

मनोहरलाल विवियन हैल्थ बनाम रविप्रकाश उमाद

...म न्यायालय सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

...स संख्या 7 8/2024 दावा - 53,188 RTA.

विशेष...

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्ष उपस्थित। वकील उत्तरपक्ष द्वारा प्रकरण में दुरुस्ती रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की। वकील वादी ने उपलब्ध दुरुस्ती रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ बाबत निर्णय 23/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वाहद उत्तरपक्ष ~~[illegible]~~ पर अंकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दुरुस्ती रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा उपलब्ध दुरुस्ती रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 78 / 2024

उनवान

1. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजि0 नं0 459 / 2005–2006, तहसील शाहपुरा जरिये सचिव वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी, जाति माली, निवासी नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद दत्तक पुत्र गणेशराम प्राकृतिक पिता भगवान सहाय
2. शंकर लाल पुत्र भगवान सहाय
   समस्त जाति माली, निवासीयान नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक , उपपंजीक कार्यालय उपतहसील अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. पटवारी पटवार हल्का नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/5/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–214 के खसरा नं0–1986 / 0.62 है० कुल किता–1 रकबा 0.62 है० वाकै ग्राम कलवानियों का बास पटवार हल्का नायन, भू.अभि.नि.क्षेत्र अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है। यहकि वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा के हिस्सा 3 / 4 रिकार्ड ऑफ राइट्स में वादी के नाम दर्ज है तथा हिस्सा 1 / 8 प्रतिवादी सं0–1 व हिस्सा 1 / 8 प्रतिवादी सं0–2 के नाम पर कागजी तौर पर दर्ज हिस्सा है जबकि वादी के पिता व प्रतिवादी सं0–1 व 2 आपस में सगे भाई है जबकि कागजी तौर पर प्रतिवादी सं0–1 व 2 के नाम हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादीगण अपने नाम का फायदा उठाकर आये दिन वादी के साथ आमादा फिसाद

सहायक कलक्टर

रहते है तथा एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके मार्फत असामाजिक किराये व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी के कब्जेशुदा व अधिकार की भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यहकि वाद पत्र के पैरा सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा खसरा नं0–1986 रकबा 0.62 है0 पर वादी ने पुख्ता बाउण्ड्री बना रखी है जो कुर्सी से लगभग 7 फीट ऊंची है तथा कुर्सी 5 फीट जमीन से उसके उपर है यानी नींव से लगभग 12 फीट की ऊंची सड़क की पुख्ता निर्माण करके दक्षिणी छोर पर पुख्ता गेट व पंजाब नेशनल बैंक को किराये पर दे रखा है तथा यहीं ट्यूबवेल, पानी का टैंक, शौचालय, जनरेटर हाउस व अन्य पुख्ता निर्माण विकास संस्थान संचालित है यानी सम्पूर्ण रकबा वादी के पिता के हिस्से में माह बंटवारे में आया है जिसमें दिनांक 15.01.2007 को वादी की [illegible] लाल व चाचा जगदीश प्रसाद, लक्ष्मीनारायण (प्रतिवादी सं0–2), ओमप्रकाश, रामकृष्ण, भगवान सहाय ने अपना हिस्सा वादी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अन्तरित कर दिया है तथा सम्पूर्ण रकबा पर वादी काबिज है। यहकि पूर्व में प्रतिवादी सं0–1 रामेश्वर प्रसाद ने एक दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामेश्वर प्रसाद बनाम मनोहर निकेतन संस्थान नायन रजि0 नं0–459/2005–2006 सी0 प्रस्तुत किया था जिसमें भी प्रतिवादी सं0–1 व 2 को खसरा नं0–1986 में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था जबकि राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई थी जिसमें प्रकरणगत शामिल खसरा नं0–1986 व अलमशहुर डेरा वाली भूमि खसरा नं0–1609/1.68 है0 हिस्सा 1/3 भूमि प्रतिवादी सं0–1 व 2 व अन्य के साथ बैठकर एकजाही करने का निर्णय किया गया था तथा प्रतिवादीगण उससे पाबंद भी है यानि सन 1986 के बदले में प्रतिवादीगण को अन्य जगह 'शामलाती खातेदारी भूमि में से भूमि देने का राजीनामा हुआ था तथा प्रतिवादीगण उससे पाबंद होनेके बावजूद शामलाती भूमियों बाबत बैठकर निर्णय नहीं कर रहे है जबकि वादी के कब्जेशुदा भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने की इच्छा रखते है तथा आये दिन वाद विवाद करते है तथा अपने नाम का फायदा उठाकर जबरिया वादी की बाउण्ड्री तोडकर पुख्ता बाउण्ड्री परा बिना निर्माण लागत कब्जा करना चाहते है जिसका उनको कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। यहकि दिनांक–16.06.2024 को समय करीब 8 बजे सुबह प्रतिवादीगण एकराय होकर जबरन वादी की कब्जेशुदा भूमि खसरा नं0–1986 में जबरन घुस आये तथा सड़क की तरफ हिस्से में पुख्ता बाउण्ड्री वॉल को तोडकर अन्दर घुस गये तथा वादी को जानकारी होने पर वादी मौके पर गया तो प्रतिवादीगण ने बाउण्ड्री तोडकर गेट लगाने की कोशिशकर रहे थे तो वादी मौके पर पहुँच गया और प्रतिवादीगण को मना किया तो वादी के साथ गाली गलौच कर आमादा फिसाद हो गये तथा कब्जा कर पुख्ता निर्माण कार्य करने की धमकी दी जिस पर वादी ने दिनांक 16.06.2024 को पुलिस थाना आमेरजिला जयपुर प्रथम सूचना रिपोर्ट

सहायक कलक्टर

सं०–124 दिनाक–16 06 2024 अन्तर्गत धारा–143, 427, 447, 54, 106 आई पीसी में प्रतिवादी सं0–1 लगायत 6 के खिलाफ दर्ज करवाहै तथा प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करने की फिराक में है जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि पूर्व के बांहमी बंटवारा पर आप नहीं रहना चाहते है, तो वादी की पुख्ता बाउण्ड्री निर्माण व मौके पर उत्तरी हिस्सा में अवस्थित वादी की निर्माणशुदा सामग्री का बाजार भाव करके मुझ वादी को लागत नगद अदा आपके हिस्सा 1/8, 1/8 यानी प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 में भूमि आती है वह उत्तर दिशा में प्राप्त कर लो तथा वादी की निर्माण लागत अनुमानित 30,00,000/–रुपये अक्षरे तीस लाख रूपये अदा कर सहमति से तकारमा कर लो तो प्रतिवादीगण एकदम से नाराज हो गये तथा वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा खुले में एलानियां धमकी दी कि हम निर्माण लागत व अन्य खर्चा एक रूपया भी अदा नहीं करेंगे तथा जोर जबरिया लठ के बल पर बाउण्ड्री तोडकर कब्जा करके रहेगे तथा हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर पुख्ता तामीरात करके रहेगे अन्यथा में अपने हिस्से की भूमि का बेचान अन्य दीगर लठैत व्यक्तियो को करके वादी को बेदखल करके रहेगे तथा तकास्मा नहीं होने देगे जबकि वादी ने प्रतिवादीगण की सहमति से मौके पर पुख्ता तामीरात कई वर्षो पूर्व किया गया है तथा शांति पूर्वक काबिज काश्त है जबकि प्रतिवादीगण बदनियति पूर्वक कब्जा करना चाहते है तथा वादी को बेदखल करना चाहते है। इस कारण वादी को अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0–986/0.62 है० कुल किता–1 रकबा 0. 62 है० वाकै ग्राम नायन, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण का वादी व प्रतिवादी सं0–1 व 2 के मध्य निर्माण लागत उत्तरी हिस्सा 30,00,000/–रुपये अक्षरे तीस लाख रूपये अन्यथा में श्रीमान् स्वंय लागत तय करके वादी को दिलवाई जाकर वादी का हिस्सा 3/4 दक्षिणी की हिस्सा व प्रतिवादी सं0–1 व 2 को उत्तरी हिस्सा 1/4 के अनुसार राजस्व नियमावली के मुताबिक वैधानिक बंटवारा किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के बंटवारे मे आई भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 16.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता श्री

रविशंकर अग्रवाल एवं अजीत सैनी ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया। प्रकरण मे वकील उभयपक्ष ने दिनांक 18.12.2024 को राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। चूंकि वकील उभयपक्ष द्वारा राजीनामे अनुसार दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः दिनांक 18.12.2024 को दावा राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण मे कुरैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/991 दिनांक 03.03.2025 के द्वारा कुरैजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट का अवलोकन करने हेतु वकील उभयपक्ष ने अवसर चाहा। वकील उभयपक्ष द्वारा प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। वकील वादी ने दावा मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुरैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया है एवं कुरैजात रिपोर्ट सही तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बनाई गई है। अतः कुरैजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0-986/0.62 है० कुल किता-1 रकबा 0. 62 है० वाकै ग्राम नायन, तहसील-शाहपुरा जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. शंकरलाल पुत्र भगवान सहाय जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 1986/1 रकबा 0.0886 है0 भूमि रहेगी।
2. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भगवानसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 1986/2 रकबा 0.0886 है0 भूमि रहेगी।
3. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजि0 नंबर 459/2005-2006 तहसील शाहपुरा जरिये सचिव वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल सैनी जाति माली सा0 दहे खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंब 1986/3 रकबा 0.4428 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नही करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें।

सहायक कलक्टर

हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 78 / 2024

उनवान

1. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजि0 नं0 459 / 2005–2006, तहसील शाहपुरा जरिये सचिव वेद प्रकाश सैनी पुत्र श्री मोहन लाल सैनी, जाति माली, निवासी नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादी

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद दत्तक पुत्र गणेशराम प्राकृतिक पिता भगवान सहाय
2. शंकर लाल पुत्र भगवान सहाय
   समस्त जाति माली, निवासीयान नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. उपपंजीयक , उपपंजीक कार्यालय उपतहसील अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
5. पटवारी पटवार हल्का नायन, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/5/25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0–986 / 0.62 है० कुल किता–1 रकबा 0. 62 है० वाकै ग्राम नायन, तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

1. शंकरलाल पुत्र भगवान सहाय जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1986 / 1 रकबा 0.0886 है0 भूमि रहेगी।
2. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भगवानसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1986 / 2 रकबा 0.0886 है0 भूमि रहेगी।
3. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजि0 नंबर 459 / 2005--2006 तहसील शाहपुरा जरिये सचिव वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल सैनी जाति माली सा0 दहे खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंब 1986 / 3 रकबा 0.4428 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करे, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 23/5/25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.